राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प–90/2011/ दिनांक :

1. समस्त संयुक्त निदेशक,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
   जोंन–जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/
   उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषय : विधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध समय पर वांछित कार्यवाही कर अपील/नो अपील के निर्णय लेने बाबत।

सन्दर्भ : प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज़स्थान जयपुर के पत्रांक निचिस्वा/विधि/सामान्य/11/2018 दिनांक 28.04.11 के सन्दर्भ में।

—— : : —— : : ——

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख हैं कि उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से की जावें एवं निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने परिक्षेत्र के प्रकरणों में माननीय न्यायालय में समय पर जवाब प्रस्तुत करें एवं निर्णित होने के तुरन्त बाद निर्णय की प्रति मय राजकीय अधिवक्ता की राय सहित विधि शाखा, निदेशालय मुख्यालय को सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि पारित निर्णय के विरूद्ध अपील/नो अपील का निर्णय स्थाई समिति व राज्य सरकार द्वारा समय रहते लिया जाना सम्भव हो सकें साथ ही संबंधित न्यायिक प्रकरणों से संदैव राजकीय अधिवक्ता/ महाधिवक्ता के सम्पर्क में रहें। प्रकरणों में नो/अपील के निर्णय उपरान्त ही पालना की कार्यवाही की जाती है, नो अपील के निर्णय में विलम्ब की स्थिति में अवमानना होने की परिस्थितियों को विधि विभाग द्वारा बडी गम्भीरता से लिया गया है।

अतः समय पर निर्णय/राजकीय अधिवक्ता की राय उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रकरण में होने वाले आर्थिक व प्रशासनिक हानि के लिए प्रभारी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आपके बिरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु विवश होना पडेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प–90/2011/ 305 दिनांक : 17/5/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप विधि परामशी, मुख्यालय को उनके पत्रांक निचिस्वा/विधि/सामान्य/11/2018 दिनांक 28.04.11 के क्रम में।
2. प्रभारी, कम्पयूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र मय संलग्नकों को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें। **(संलग्न : उपरोक्तानुसार–एक)**

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

पृ० 90

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः निचिस्वा/विधि/सामान्य/11 दिनांकः

1. संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
समस्त जोन, राजस्थान।

2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

विषयः- विधिक प्रकरणों में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध समय पर वांछित कार्यवाही कर अपील/नो अपील के निर्णय लेने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव/निदेशक स्तर से प्रभारी अधिकारियों को पूर्व में भी पत्रांक/दिनांक 3800/11.08.06, 513/24.02.10 एवं 1556/17.06.10 के द्वारा कोर्ट केसेज का कार्य गम्भीरता से करने के निर्देश देते हुए अविलम्ब न्यायालय के पारित निर्णय/राजकीय अधिवक्ता की राय/जवाब पेश करने व भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है परन्तु देखने में आया है कि प्रभारी अधिकारीगण कोर्ट केसेज के कार्य को गम्भीरता से नही ले रहे है व समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है एवं निर्णय की प्रति एवं राजकीय अधिवक्ता की राय समय पर नही भिजवाने के कारण अपील/नो अपील का निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है व न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध स्थाई समिति के समक्ष अपील करने की समय अवधि बाद, प्रकरण आ पाता है।

अतः आपके अधीन कार्यरत् समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे प्रकरणों के मा0 न्यायालय में समय पर जवाब प्रस्तुत करें व निर्णित होने के तुरन्त बाद निर्णय की प्रति मय राजकीय अधिवक्ता की राय सहित विधि शाखा निदेशालय को 7 दिवस में प्रस्तुत करे ताकि पारित निर्णय के विरूद्ध अपील/नो अपील का निर्णय स्थायी समिति व राज्य सरकार द्वारा समय रहते लिया जाना संभव हो सकें। साथ ही संबंधित न्यायिक प्रकरणों से सदैव राजकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता के संपर्क में रहें।

यहां यह भी ध्यान दिलवाया जाना सामुचित है कि प्रकरणों मे नो अपील के निर्णय उपरान्त ही पालना की कार्यवाही की जाती है, नो अपील के निर्णय में विलम्ब की स्थिति में अवमानना होने की परिस्थतियों को विधि विभाग द्वारा बडी गम्भीरता से लिया है। अतः समय पर निर्णय/राजकीय अधिवक्ता की राय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रकरण में होने वाली आर्थिक व प्रशासनिक हानि के लिए प्रभारी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु विवश होना पड़ेगा।

उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से की जावें एवं पत्र के प्राप्ति की रसीद उप विधि परामर्शी, चि0 एवं स्वा0 सेवाऐं, राज0 जयपुर को भिजवाते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राज. जयपुर।

क्रमांकः निचिस्वा/विधि/सामान्य/11/2018 दिनांकः 28.4.2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
2. समस्त अति0 निदेशक, निदेशालय, राज0 जयपुर। (राजपत्रित) प्र.
3. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, निदेशालय, राज0 जयपुर।
4. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, निदेशालय, राज0 जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राज. जयपुर।